उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय–व्ययक

वर्ष 2014–2015

उत्तर प्रदेश शासन

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय–व्ययक

वर्ष 2014–2015

फोन : 2208321, 2208310, 2208313, 2207004, 2208307, 2208287

फैक्स : 0522–2208243

ई–मेलः सीईओयूपीकेवीआईबी/जीमेल.काम

वेबसाइट : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीकेवीआईबी.जीओवी.इन

संक्षिप्त प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक पक्षों में पारस्परिक सामन्जस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभाग के कार्यकलापों को वर्गीकृत करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित है। खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र में कम पूँजी निवेश वाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों एवं प्रतिबद्धता के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार नवयुवकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, समाज के निर्बल वर्ग के लाभार्थियों, परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है, तथा इसी के साथ-साथ भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कम पूंजीनिवेश से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर सरकार के बेरोजगारी भत्ते पर बोझ कम करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त खादी से जुड़ी कत्तिनों/कामगारों को खादी बिक्री पर छूट प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है इसके साथ लाभार्थियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहायक योजनाओं के माध्यम से भी प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग का प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन, विपणन एवं विकास किया जा रहा है। बोर्ड का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफार्मेन्स बजट) वर्ष 2014-2015 प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि इससे आय-व्ययक में प्राविधानित व आवंटित धनराशि के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा समतुल्य उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय – सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं0
	संक्षिप्त प्राक्कथन	
	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय	
1.	संक्षिप्त परिचय, विकास तथा मूलभूत उद्देश्य	2–3
2.	वित्तीय आवश्यकताएं	
	(क) कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का वर्गीकरण	4
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	4
	(ग) वित्तीय आवश्यकताएं एवं वित्तीय संसाधनों का स्रोत	5
	परिशिष्ट – 1	
	(1) स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का विवरण	6
	(2) प्रशासनिक ढांचा	7
	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	
3.	संक्षिप्त परिचय	8–9
4.	आयोजनागत/आयोजनेत्तर कार्यक्रमों की वर्ष 2012–13 व 2013–14की भौतिक उपलब्धियाँ	10–15
5.	आयोजनागत/आयोजनेत्तर कार्यक्रमों की वर्ष 2012–13 व 2013–14 में वित्तीय प्रगति	16–19
6.	अन्य योजनाएं	20–21
7.	स्वरोजगार की स्थिति	22
8.	वर्ष 2014–15 में प्राविधानित आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का विवरण	23–32
9.	वर्ष 2013–14 की विशेष उपलब्धियाँ	33–34
10.	वित्तीय आवश्यकताएं	
	(क) वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का विवरण	35
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	36–37
	(ग) वित्तीय संसाधनों का स्रोत	38
	परिशिष्ट – 2	
11.	स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का विवरण	39
12.	(क) प्रशासनिक ढांचा	40
	(ख) विभागीय योजनाओं का प्रशासनिक ढांचा	41

निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट 2014–2015

विभाग की अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूत उद्देश्य

अभ्युदय

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रभावी संगठनात्मक ढॉचा प्रदान करने एवं खादी तथा ग्रामोद्योग सेक्टर से संबंधित उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या 1880/18–10–184 (के0बी0)–86 टी0सी0 दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा की गयी थी।

मूलभूत उद्देश्य

इस निदेशालय की स्थापना निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गयी :–

1. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के सृजन तथा समन्वित विकास हेतु आवश्यक परियोजनाओं/योजनाओं की संरचना करना तथा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण वितरण करना तथा उसका सम्पूर्ण लेखा–जोखा रखना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं/शासकीय विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार (डाटा बेस) को सुदृढ़ करना तथा इन उद्योगों हेतु नीति निर्धारण में प्रदेश शासन को आवश्यक सहयोग देना।
5. अन्य कार्य जो प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर आवंटित किये जायें।

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार को सुदृढ़ बनाया गया एवं ग्रामोद्योगों की नीति हेतु प्रदेश सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण वितरण किया गया तथा उसका लेखा–जोखा रखा गया।
3. गत वर्षों के स्वीकृत धनराशि की पी0यू0सी0 शासन को प्रेषित कराने पर बल दिया गया।
4. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कतिपय खादी उत्पादन केन्द्रों/परिक्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
5. खादी बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वितरित धनराशि की वसूली सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण किया गया।
6. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।
7. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम संबंधी विवरण

1. खादी बोर्ड के पेंशनर्स को कोषागारों के माध्यम से जी0पी0एफ0 का वितरण कराया जाना।
2. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण का भुगतान कोषागार के माध्यम से कराया जाना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रदेश शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों की धनराशियों का आहरण वितरण करना एवं उनका लेखा–जोखा रखना।
4. प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

परिशिष्ट – 1

विभागीय पदों का गत तीन वर्षों का विवरण तथा विभागीय संगठन

इस निदेशालय का गठन केवल मुख्यालय के रूप में किया गया है। शासन द्वारा इस निदेशालय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी के पद सृजित किये गये थे, जिनमें से संयुक्त निदेशक का पद बाद में समाप्त कर दिया गया है और आशुलिपिक का पद उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ को समर्पित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 14 पद सृजित हैं। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ही इस निदेशालय का पदेन निदेशक नामित किया गया है तथा इस निदेशालय का कार्यालय भी खादी बोर्ड परिसर में ही स्थापित रखने का प्राविधान किया गया है।

विभागीय पदों का गत तीन वर्षों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	2011–2012		2012–2013		2013–2014	
		भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद
निदेशक	01	1	.	1	.	1	.
सह निदेशक	01	1	.	1	.	1	.
लेखाधिकारी	01	1	.	1	.	1	.
कार्यालय अधीक्षक	01	1	.	1	.	1	.
वरिष्ठ सहायक	01	.	1	.	1	.	1
सम्प्रेक्षक	01	.	1	.	1	.	1
अन्वेषक कम संगणक	01	1	.	1	.	1	.
वरिष्ठ लिपिक	01	1	.	1	.	.	1
कनिष्ठ लिपिक	02	.	2	.	2	1	1
ड्राइवर	01	1	.	1	.	1	.
चपरासी	03	2	1	2	1	2	1
योग	**14**	**9**	**5**	**9**	**5**	**9**	**5**

विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदोपरान्त उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी।

बोर्ड का संगठनः– अधिनियम की धारा–5 उपधारा–1 के अन्तर्गत बोर्ड में पॉच सरकारी एवं सात गैरसरकारी सदस्य होते हैं। जुलाई 1984 में अधिनियम में संशोधन कर खादी ग्रामोद्योग मंत्री को बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों में से एक को पूर्णकालिक उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की भी व्यवस्था है। वर्तमान में पांच गैर सरकारी सदस्य नामित है।

सरकारी सदस्यों में निम्नलिखित नामित किये गये हैंः–

1–उ0प्र0 सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्रीः–अध्यक्ष।

2–सचिव, उद्योग/कुटीर एवं खादी तथा ग्रामोद्योग उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

3–सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

4–सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

5–सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

6–उद्योग निदेशक, उ0प्र0 अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।

बोर्ड के उद्देश्य :– खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले छोटे–छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

वित्त पोषण हेतु अनुमन्य उद्योग धन्धे :– खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योगों को निम्न सात वर्गों में बॉटा गया हैः–

1–कृ ि आधारित उद्योग–खादी, मौनपालन, तेलघानी, गुड़–खाण्डसारी, अनाजदाल, जड़ी–बूटी, फल– प्रशोधन आदि।

2–खनिज आधारित उद्योग–कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि।

3–वनाधारित उद्योग–हाथ कागज, माचिस/अगरबत्ती, लाख, बॉस–बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयॉ, रेशा उद्योग आदि।

4–पॉलीमर तथा रसायन–अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर आधारित उद्योग, हाथी दॉत आदि।

5–यांत्रिक एवं वैकल्पिक उर्जा–लौह, काष्ठ, अल्यूमिनियम, तॉबें, पीतल आधारित उद्योग, कॉसे के बर्तन आदि।

6–वस्त्र उद्योग–सिलाई, पोलीवस्त्र, होजरी आदि।

7–सेवा उद्योग–धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नलसाजी, बिजली उपकरण, आडियो तथा डीजल इंजन मरम्मत आदि।

<u>खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभा ाायें</u>:– ''खादी'' का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

''ग्रामोद्योग'' का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर कर्मी पचास हजार रुपये से अधिक न हो, से है। ''ग्रामीण क्षेत्र'' का तात्पर्य समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बों से हैं।

<u>उद्यमियों का चयन</u>:– उद्यमियों के चयन हेतु ाासनादेश सं0 665/59–2–2007–05(खा)/2000 दिनांक 11 जुलाई, 2007 द्वारा निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है –

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि	–	अध्यक्ष
2. परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	–	उपाध्यक्ष
3. अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	–	सदस्य
4. सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य
5. जिला विकास प्रबन्धक, रा ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	–	सदस्य
6. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	–	सदस्य/सचिव।

; □□□

बोर्ड द्वारा संचालित आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं की वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की भौतिक प्रगति –

1– गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 535 खादी की प्रमाणित संस्थायें लाभान्वित हो रही है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से **लगभग 2.00 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बुनकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।** मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय–व्ययक से अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु 108 कार्यदिवस के लिए रिबेट अनुमन्य किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार भी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत खादी बिक्री पर छूट भारत सरकार के आय–व्ययक से अनुमन्य की जाती है। व र्ा 2010–11 से आयोग द्वारा विपणन विकास सहायता के अन्तर्गत पूरे व र्ा 20 प्रतिथत की छूट अनुमन्य की गई है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में क्रमशः रु0 1175.00 लाख, रु0 3790.00 लाख एवं रू0 3711.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। जिससे विगत वर्षों के लम्बित रिबेट दावों का भुगतान किया गया।

2– विपणन विकास सहायता योजना

प्रदेश में बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोर्ा ित इकाईयों के उत्पादों के प्रदर्थन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देथ्य से विपणन विकास सहायता योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसके माध्यम से प्रदेश की इकाईयों द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु अनुदान सं0–81 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत रु0 0.50 लाख एवं अनुदान सं0–83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रु0 40.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 40.50 लाख से वित्तीय वर्ष 2013–14 में लखनऊ में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व महाकुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद में राष्ट्रीय स्तर की खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग रू0 750.00 लाख की खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री हुयी।

3– ग्रामोद्योग प्रदर्थनियों का आयोजन

प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रा ट्रीय, राज्य स्तरीय, आचंलिक प्रदर्थनियों के साथ–साथ जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु रु0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था, जिसमें 04 मण्डल स्तरीय प्रदर्थनी, आगरा मण्डल के अन्तर्गत जनपद–आगरा, बरेली मण्डल के अन्तर्गत जनपद– पीलीभीत, झांसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद– झांसी एवं वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में मण्डल स्तरीय प्रदर्थनी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद में राज्य स्तरीय प्रदर्थनी तथा माघ मेला इलाहाबाद मे रा ट्रीय स्तरीय प्रदर्थनी का आयोजन किया गया। जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग रू0 443.00 लाख की बिक्री की गयी तथा बोर्ड की योजनाओं का ब्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया ।

4– उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो कि ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुन्जी हैं।

इसी उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1988–89 में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं क्रमथः लखनऊ एवं खजनी– गोरखपुर में स्थापित की गयीं। जिनके द्वारा ग्रामोद्योगी इकाइयों से सैम्पुल एकत्र करना एवं आवश्यक तकनीकी सुझाव देना, गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी देना, समय–समय पर गॉव/ब्लाक/जनपद स्तर पर गुणवत्ता जागरूकता कैम्प आयोजित करना आदि कार्य किये जा रहे हैं, साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उत्पादन के समय भी वह गुणवत्ता नियंत्रित करते हुए उच्चकोटि का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य बोर्ड की गोरखपुर एवं लखनऊ प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है।

ग्लोबलाइजेशन के युग में ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों का मार्केट प्रतिस्पर्धा में अपना उचित स्थान बनाये रखने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैंः–

1. **सैम्पुल का परीक्षणः–** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाइयों के सैम्पुल के परीक्षण के साथ–साथ इकाइयों के उत्पादों का मानकीकरण की जानकारी भी दी जाती है।
2. **प्रौद्योगिकी हस्तान्तरणः–** अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण उद्यमी नवीनतम तकनीकी जानकारी न होने के कारण पुरानी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। प्रयोगशाला विभिन्न क्षेत्र में विकसित नयी तकनीक ग्रामीण उद्यमियों तक पहुॅचाने के लिए एक माध्यम का कार्य करेगी जिसके लिए उद्यमी को इधर–उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
3. **गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमः–** उद्यमियों को ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गुणवत्ता जागरूकता शिविर गाँव/ब्लाक/जनपद स्तर पर आयोजित किये जाते है ताकि ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

वर्ष 2012–13 में प्रयोगशाला द्वारा किये गये कार्य की प्रगति–

क्र0सं0	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का नाम	कार्य का विवरण	संख्या
1.	डालीगंज, लखनऊ	(1) टेस्टेड सैम्पुल	40
		(2) उत्पाद विकास, मानकीकरण	30
		(3) उत्पाद विकास मानकीकरण में टेक्निकल ट्रेनिंग	07
		(4) प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण कार्यशाला	02
2.	खजनी, गोरखपुर	(1) टेस्टेड सैम्पुल	37
		(2) उत्पाद विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता विनिश्चय जागरूकता कार्यक्रम	28

वर्ष 2013–14 में प्रयोगशाला द्वारा किये गये कार्य की प्रगति :–

क्र0सं0	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का नाम	कार्य का विवरण	संख्या
1.	डालीगंज, लखनऊ	(1) टेस्टेड सैम्पुल	30
		(2) उत्पाद विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता विनिश्चय जागरूकता कार्यक्रम	20
		(3) पॉच दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग	08
		(4) प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण कार्यथाला	06
2.	खजनी, गोरखपुर	(1) टेस्टेड सैम्पुल	18
		(2) उत्पाद विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता विनिश्चय जागरूकता कार्यक्रम	12

वित्तीय व र्ा 2014–15 में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगथाला डालीगंज, लखनऊ एवं खजनी गोरखपुर द्वारा 100 सेम्पुल परीक्षण,25 उत्पाद विकास मानिकीकरण गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम, 16 उत्पाद विकास मानिकीकरण में पॉच दिवसीय टेक्निकल ट्रेनिंग एव 09 प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यथाला कराये जाने का लक्ष्य है।

5– मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग योजना (जिला सेक्टर) :–

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमथीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना व ि 1994–95 से ाुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत थिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रथिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रथिक्षित अभ्यर्थियों तथा ाासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रथिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक थिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग वि ाय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना की सफलता को दृ ि टगत रखते हुए ाासन द्वारा वित्तीय व ि 2010–11 में ाासनादेथ संख्या 957(बी)/का0नि0–6/10 दिनांक 20 जुलाई, 2010 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।**

संशोधित योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख कर दी गई है।
2. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिथत ब्याज वहन किया जायेगा ो ा ब्याज की राथि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
3. **आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराथि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।**
4. ाासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराथि का 1–1 प्रतिथत क्रमथः जागरूकता थिविर, प्रचार–प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिथत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेथ करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेथ रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराथि ब्याज उपादान के रूप में ाासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराथि की आवथ्यकता होगी। वित्तीय व ि 2014–15 में लगभग 1760 उद्यमियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 28160 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

12वीं पंचवर्षीय योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु योजना आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित कर दी गई है, जबकि एस0सी0एस0पी एवं टी0एस0पी0 के अन्तर्गत योजना आयोजनागत मद में ही संचालित है।

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत विगत व ाों की उपलब्धियॉ निम्न प्रकार हैं:–

व ि	इकाई संख्या	वित्त पो ि ात धन0 (करोड़ रू0में)	रोजगार संख्या
2012.2013	4127	207ण83	82930
2013.2014	3632	177ण68	74797

6– खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रो का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत 12 खादी उत्पादन केन्द्र हैं। इसी प्रकार कम्बल योजना के अन्तर्गत 8 कम्बल कारखाने/उत्पादन केन्द्र हैं, मथीनें एवं उपकरण काफी पुराने तथा पुरानी तकनीकी के हैं, जिसके कारण उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है साथ ही इन उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल एवं रिवाल्विंग फण्ड का भी अभाव है। उत्पादन केन्द्रों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कराये जाने हेतु इन उत्पादन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से इनके नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तीय व र्ा 2013–14 में इस योजना हेतु शासन द्वारा धनराथि रु0 60.00 लाख का प्राविधान किया गया है। जिससे 175 न्यू माडल 08 आठ तकला चर्खे क्रय करते हुए कत्तिनों/कामगारों को उपलब्ध कराया गया। खादी एवं कम्बल योजना की गत वर्षो की प्रगति निम्नवत् है –

(क) कम्बल योजनाः– प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा व र्ा 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फरनगर नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थीं। कालान्तर में इन केन्द्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। व र्ा 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही व र्ा 1984–85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। बोर्ड में 8 कम्बल कारखानों/उत्पादन केन्द्रों की स्थापना 1954 में की गयी थी। इस प्रकार वर्तमान समय में इस येाजना के अन्तर्गत छः कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है। अधिकांशतः मशीनें एवं उपकरण पुराने हो गये हैं जो कि आज के आधुनिक परिवेश के मुताबिक कम्बल उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। बोर्ड द्वारा प्रथम अवस्था में बोर्ड की विभागीय कम्बल कारखाना गोपीगंज, संतरविदास नगर भदोही की इकाई को उत्पादन योग्य बनाने हेतु भवन मरम्मत/मथीन मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

(ख) खादी योजनाः– खादी योजना व र्ा 1967 से बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। खादी योजना के माध्यम से समाज के असहाय बेरोजगार एवं विकलांग व्यक्तियों को कम पूँजी निवेश से रोजगार सृजन के स्रोत उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में अधिक गुणवत्ता उत्पादन के लिए दो तकला, छः तकला, आठ तकला एवं बारह तकला न्यू माडल चर्खों पर सूत कताई योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

भौतिक प्रगति

बोर्ड की वित्तपोषित संस्थाओं की प्रगति

(लाख रूपये में)

व र्ा	उत्पादन	बिक्री	थोक बिक्री	रोजगार (इकाई में)
2012.2013	5460म्00	6261म्50	1965म्50	91380
2013.2014	6006म्00	6887म्65	2162म्05	97575

बोर्ड के विभागीय उत्पादन केन्द्रों की प्रगति

(लाख रूपये में)

व र्ा	उत्पादन	बिक्री	रोजगार (इकाई में)
2012.2013	34म्10	32म्16	1370
2013.2014	51म्53	20म्19	1545

7– ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेथन एण्ड कनेक्टिविटी

शासन की ई–गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान–प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखा का रख–रखाव का डिजिटाइजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ''ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन ऐण्ड कनेक्टिविटी'' प्रस्तावित की गयी थी। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में शासन द्वारा धनराशि रु0 1.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। योजनान्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों एवं सात परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी गयी, बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के वेब–बेस्ड साफ्टवेयरों का विकास कराया जा चुका है। वित्तीय व f 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमथः रू0 22.00 लाख एवं रू0 22.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिससे सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान एवं ई–मेल सुविधा के अधिकाधिक उपयोग एवं बोर्ड कार्यों के अनुश्रवण की दृष्टि से बोर्ड मुख्यालय पर इण्टरनेट एवं लीज लाईन की स्थापना एवं समस्त कम्प्यूटरों पर नेट कनेक्टिीविटी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय परिसर में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा नेटवर्किंग कार्य पूर्ण कराया गया। कम्प्यूटर के माध्यम से विभागीय कार्यों का सम्पादन किये जाने हेतु व f 2012–13 में एवं व f 2013–14 में बोर्ड कार्मिकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलाया गया, इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यों में ई–मेल सुविधा के व्यापक उपयोग सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से समस्त परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय एवं समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों में इण्टरनेट ब्राडबैण्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

8– कौथल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौथल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौथल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के श्रोतों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवन यापन कर सकें। व f 2012–13 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत रु0 72.00 लाख, अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत रू0 0.50 लाख एवं अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत रू0 75.00 लाख कुल रू0 147.50 लाख के सापेक्ष 147 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर 3675 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत रु0 75.00 लाख, अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत रू0 0.50 लाख एवं अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत रू0 75.00 लाख कुल रू0 150.50 लाख के सापेक्ष 201 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराकर 5013 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

अनुदान सं0–05 (धनराशि रुपये हजार में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2012–13			2013–14		
		बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय
1.	गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट	379000ण00	379000ण00	379000ण00	371173ण00	371173ण00	371173ण00
2.	खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण	2500ण00	2500ण00	2500ण00	6000ण00	6000ण00	6000ण00
3.	प्रशिक्षण केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	0ण00	00ण00	00ण00	5000ण00	4796ण00	4796ण00
4.	प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	0ण00	0ण00	0ण00	12000ण00	10878ण00	10878ण00
5.	खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी– गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	0ण00	0ण00	0ण00	6000ण00	6000ण00	6000ण00
6ण	अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु खादी बोर्ड को अनुदान	0ण00	0ण00	0ण00	9128ण00	9128ण00	9128ण00
	योग आयोजनागत	**381500ण00**	**381500ण00**	**381500ण00**	**409301ण00**	**407975ण00**	**407975ण00**

आयोजनेत्तर मद हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

अनुदान सं0–05 (धनराशि रुपये हजार में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2012–13			2013–14		
		बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृतियाँ	व्यय
1.	व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना	4000.00	4000.00	4000.00	5000.00	5000.00	5000.00
2.	ग्रामीण उद्यमियों को पुरस्कार योजना	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00
3.	जनश्री बीमा योजना	1630.00	1630.00	1630.00	1640.00	1640.00	1594.00
4.	ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन	7250.00	7250.00	7250.00	7500.00	7500.00	7500.00
5.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	125000.00	125000.00	125000.00	150000.00	150000.00	150000.00
6.	ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टीविटी	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00
7.	उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	1500.00	1500.00	1200.00	1750.00	1750.00	1750.00
8.	कौशल सुधार प्रशिक्षण	7200.00	7200.00	7200.00	7500.00	7500.00	7500.00
	योग आयोजनेत्तर	**149180.00**	**149180.00**	**149180.00**	**176090.00**	**176090.00**	**176044.00**
योग आयोजनागत		**381500.00**	**381500.00**	**381500.00**	**409301.00**	**407975.00**	**407975.00**
योग आयोजनागत+आयोजनेत्तर		**530680.00**	**530680.00**	**530680.00**	**585391.00**	**584065.00**	**584019.00**

12वीं पंचव ीय योजनान्तर्गत व ि 2013–14 संचालित योजनाओं का विवरण

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

अनुदान संख्या – 05 (धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	2	3	4
(क) राज्य सेक्टर			
1. गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट	371173ण00	371173ण00	371173ण00
2. खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण	6000ण00	6000ण00	6000ण00
3.प्रशिक्षण केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	5000ण00	4796ण00	4796ण00
4.प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	12000ण00	10878ण00	10878ण00
5.खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी– गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	6000ण00	6000ण00	6000ण00
6.अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु खादी बोर्ड को अनुदान	9128ण00	9128ण00	9128ण00
योग : राज्य सेक्टर	**409301ण00**	**407975ण00**	**407975ण00**

आयोजनेत्तर मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

(धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1			
1. व्यवहारिक प्रशिक्षण	5000ण00	5000ण00	5000ण00
2. ग्रामीण उद्यमियों को पुरस्कार योजना	500ण00	500ण00	500ण00
3. जनश्री बीमा योजना	1640ण00	1640ण00	1594ण00
4. ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी का आयोजन	7500ण00	7500ण00	7500ण00
5. उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	1750ण00	1750ण00	1750ण00
6. कौशल सुधार प्रशिक्षण	7500ण00	7500ण00	7500ण00
7. ई–गवर्नन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी	2200ण00	2200ण00	2200ण00
8. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	150000ण00	150000ण00	150000ण00
योग	**176090ण00**	**176090ण00**	**176044ण00**

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

टी0एस0पी0 अनुदान संख्या – 81 (धनराशि रु0 हजार में)

योजनाएं	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियाँ	व्यय
1	2	3	4
(क) राज्य सेक्टर			
1. कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण	50.00	50.00	50.00
2. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	50.00	50.00	50.00
3. उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	50.00	50.00	50.00
योग : राज्य सेक्टर	**150.00**	**150.00**	**150.00**
(ख) जिला सेक्टर			
1. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	200.00	200.00	175.00
योग : जिला सेक्टर	**200.00**	**200.00**	**175.00**
महायोग : (राज्य+जिला)	**350.00**	**350.00**	**325.00**

आयोजनागत मद हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14में विभिन्न योजनाओं में बजट प्राविधान, जारी स्वीकृति एवं व्यय

एस0सी0एस0पी0 अनुदान संख्या – 83 (धनराशि रु0 हजार में)

(क) राज्य सेक्टर			
1. कौशल सुधार–प्रशिक्षण योजना	7500.00	7500.00	7500.00
2. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	4000.00	4000.00	4000.00
3. उत्पाद विकास एवं मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय	800.00	800.00	800.00
योग : राज्य सेक्टर	**12300.00**	**12300.00**	**12300.00**
(ख) जिला सेक्टर			
1. मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	25500.00	25500.00	24261.00
योग : जिला सेक्टर	**25500.00**	**25500.00**	**24261.00**
महायोग : (राज्य+जिला)	**37800.00**	**37800.00**	**36561.00**

अन्य योजनाएं

• आयोजनेत्तर

1– व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना (आयोजेनत्तर) :–

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार प्रसार करके किया जाता है, उसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर ही 15 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण प्रकिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं कियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु रु0 40.00 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिससे 1000 व्यक्तियों को प्रतिव f प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय व f 2013–14 में रु0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष 1250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

2– ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना :–

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाईयों के प्रतिनिधि को मण्डल स्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनराशि रु0 5.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट उद्यमियों को चयनित कर पुरस्कृत किया जायेगा।

3– जनश्री बीमा योजना :–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत परम्परागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को जनश्री बीमा योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना हेतु रु0 16.30 लाख का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष 130731 खादी कामगारों को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु रू0 16.40 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 15.94 लाख का व्यय करते हुए 127489 खादी कामगारों को आच्छादित किया गया। वित्तीय व f 2014–15 में 127489 खादी कामगारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

सहकारिता योजना (विभागीय)

1 सहकारिता का मुख्य उद्देश्य उ0प्र0सहकारी अधिनियम 1965 की धारा–7 के अन्तर्गत समिति का गठन कराकर सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिए उद्योग को चलाना, उद्योग से सम्बन्धित कच्चा माल तथा सामान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना एवं उत्पादन हेतु देना है।

2 सदस्यों के लिए वर्कशाप, गोदाम आदि बनवाना एवं किराये पर लेना।

3 उत्पादित माल की उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करना।

4 सदस्यों में मितव्ययिता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा उसके लिए आवश्यक योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

5 समिति द्वारा संचालित उद्योगों, हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूँजी का प्रबन्ध करना जैसे–बैंक,राज्य सरकार,खादी आयोग, उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

उपरोक्त के अन्तर्गत वित्तीय व f 2012–2013 में 47 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय व f 2013–14 में 55 समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 180 समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित है।

• खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–

यह योजना खादी और ग्रामाद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक परियोजना लागत के इकाईयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंक के माध्यम से बेराजगार व्यक्तियों/संस्थाओं/समितियों को ऋण स्वीकृत कराया जायेगा।

परियोजना लागत पर सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बजट से ब्याज रहित ऋण के रूप से उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को 25 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत का अंशदान स्वयं वहन करना होता है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं निर्बल वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजनान्तर्गत 1383 इकाईयों की स्थापना कर 15324 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 141.57 करोड़ के पूंजी निवेश से 1836 इकाईयों की स्थापना कराई गई जिससे 17276 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय व र्ा 2014–15 में रू0 160.06 करोड़ के पूंजीनिवेश से 3714 इकाईयों की स्थापना कराते हुए 29712 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इस योजनान्तर्गत स्थापित इकाइयों, वितरित ऋण एवं रोजगार सृजन की स्थिति निम्नवत है:–

व र्ा	स्थापित इकाइयों की संख्या	वितरित ऋण (करोड़ रू0में)	रोजगार सृजन
2012.2013	1383	137ण्54	15324
2013.2014	1836	141ण्57	17276

2– ऋण की वसूली:– विगत व र्ाों में बोर्ड द्वारा आयोग फण्ड एवं कन्थोर्सियम बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत बाँटे गये ऋणों की वसूली व र्ा 2013–14 में विशे ा अभियान चलाकर किया गया। विभिन्न व र्ाों में वसूली विवरण निम्नवत् है–

(लाख रुपये में)

वर्ष	आयोग ऋण	कन्सोर्शियम ऋण	योग
2012.2013	145ण्57	346ण्36	491ण्93
2013.2014	192ण्88	552ण्63	745ण्51

स्वरोजगार सृजन की स्थिति

वर्ष 2012–2013 में स्वरोजगार का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ (संख्या में)	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	207.83	4127	82930
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	137.54	1383	17276
	योग	**345.37**	**5510**	**100206**

वर्ष 2013–2014 में स्वरोजगार का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ संख्या में)	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	177.68	3632	74797
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	141.57	1836	17276
	योग	**319.25**	**5468**	**92073**

वर्ष 2014–2015 में स्वरोजगार का लक्ष्य

क्र0 सं0	योजना का नाम	ऋण की0 धन0 (करोड़ रु0 में)	स्थापित इकाइयाँ संख्या में)	सम्भावित रोजगार सृजन (संख्या में)
1.	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना	70.40	1760	28160
2.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	160.06	3714	29712
	योग	**230.46**	**5474**	**57872**

इस प्रकार वर्ष 2014–2015 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 230.46 करोड़ रू0 का पूँजीनिवेश से 5474 इकाईयों की स्थापना कराई जायेगी जिसके माध्यम से 57872 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

व र्ष 2014–2015 में बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं अनुदान सं0–05 का विवरण:–

(धनराशि रुपये हजार में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 (आयोजनागत)	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
राज्य सेक्टर				
1.	**श्री गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी बिक्री पर छूट**	200000ण्00		वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर ली गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 526 से अधिक खादी की प्रमाणित संस्थायें लाभान्वित हो रहीं हैं तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 2.00 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बुनकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय–व्ययक से अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु 108 कार्यदिवस के लिए रिबेट अनुमन्य किया गया है। शासन द्वारा वर्ष 2012–13 में रु0 3790.00 लाख का प्राविधान किया गया था जिससे वर्ष 2011–12 के रिबेट दावों का भुगतान किया गया इसके अतिरिक्त विगत वर्षों के लम्बित रिबेट दावों के भुगतान किया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए रु0 3711.73 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। जिससे वर्ष 2012–13 के दावों का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रू0 2000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	**खादी एवं कम्बल उत्पादन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण**	6000ण्00		उ0प्र0खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर से निर्भरता समाप्त करने हेतु 12 खादी उत्पादन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान समय में केन्द्रों पर उपलब्ध चरखे पूर्णतया जीर्ण–शीर्ण एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग नगण्य हो चुकी है। उत्पादन क्षमता में कमी आने के कारण इस उद्योग में लगे हुए कतकरों/बुनकरों का जीवन यापन सीधे प्रभावित हो रहा है। विभागीय खादी उत्पादन केन्द्रों को सुचारू रूप से चलाकर सम्बद्ध खादी के कतकरों/बुनकरो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इन केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा विभागीय कम्बल योजना में कुल छः कारखाने एवं 2 उत्पादन केन्द्र हैं। बोर्ड द्वारा संचालित कम्बल कारखाने एवं उत्पादन सन् 1950 से 1960 की अवधि के हैं तथा मशीन उपकरण एवं वर्कशेड/तैयार माल के स्टोर बहुत ही पुराने हो चुके हैं। तैयार माल हेतु बने स्टाक गोदाम की स्थिति अत्यन्त खराब है। कम्बल कारखानों पर अच्छी गुणवत्ता के कम्बलों का कम लागत में उत्पादन हों। इसके लिये कम्बल योजना के उपरोक्त कम्बल कारखानों/उत्पादन केन्द्रों पर जीर्णोद्धार /उच्चीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रु0 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिससे 175 न्यू माडल एवं आठ तकला के 08 चर्खे क्रय करते हुए कतिनों/कामगारों को उपलब्ध कराया गया तथा बोर्ड की विभागीय कम्बल कारखाना गोपीगंज, संतरविदास नगर भदोही की इकाई को उत्पादन योग्य बनाने हेतु भवन मरम्मत/मशीन मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रू0 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3	**प्रशिक्षण केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण**	6357ण्00		प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों, परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1987–88 में की गई थी। इन केन्द्रों पर बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण केन्द्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तथा केन्द्रों की भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण से समस्या उत्पन्न हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रू0 47.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी जिससे मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रथिक्षण केन्द्र नजीबाबाद बिजनौर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया। वित्तीय व f 2014–15 में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रथिक्षण केन्द्र अडिंग मथुरा एवं मऊ की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना है ाासन द्वारा वित्तीय व f 2014–15 में रू0 63. 57 लाख का प्राविधान किया गया है।
4	**प्रशिक्षण केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण**	6000ण्00		प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों, परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1987–88 में की गई थी। वर्तमान में केन्द्रों पर अवस्थापना सुविधाओं का अभाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने में कठिनाई आ रही है। इन केन्द्रों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण, आधुनिक व्याख्यान कक्ष, नवीन उपकरण आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रु0 120.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 108.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी जिसमें प्रथम अवस्था में केन्द्रों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण, ब्याख्यान कक्ष, नवीन उपकरण आदि उपलब्ध कराये गये। अव े ा कार्यो को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है ाासन द्वारा वित्तीय व f 2014–15 में रू0 60.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
5	**खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी–गोरखपुर हेतु वर्कशेड एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण**	6000ण्00		बोर्ड के विभागीय खादी उत्पादन केन्द्र, खजनी–गोरखपुर में उपलब्ध 2.675 हेक्टेयर भूमि पर वर्कशेड/बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण कत्तिनों के लिए कार्य करना कठिन कार्य है। साथ ही शासकीय धन से क्रय किये गये उपकरणों एवं सरकारी भूमि की सुरक्षा हेतु कार्य कराया जाना अति आवश्यक था जिसमें कि रू0 187.65 लाख के व्यय का आंकलन पत्र राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू0 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसमें कि आंथिक बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया तथा े ा कार्य पूर्ण कराने हेतु रू0 127.65 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। ाासन द्वारा वित्तीय व f 2014–15 में रू0 60.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	224357ण्00		

आयोजनेत्तर मद की योजनायें

क्र.सं.	योजना का नाम	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 (आयोजनागत)	आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 (आयोजनेत्तर)	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4	5
1.	**ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन**		7500ण्00	प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार लखनऊ में एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। साथ ही ग्रामोद्योगी इकाईयों के उत्पादों की बिक्री करने का पटल प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त बोर्ड के विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार पम्फ्लेट, साहित्य/मासिक पत्रिका एवं सेमिनार/गोष्ठियों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रु0 75.00 लाख का प्राविधान किया गया था। जिससे 04 मण्डल स्तरीय प्रदर्थनी का आयोजना किया गया तथा जनपद लखनऊ में राज्य स्तरीय एवं महाकुम्भ के अवसर पर जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	**उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय**		1750ण्00	खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं के विपणन में अत्यधिक कठिनाई आती है, जिसका मुख्य कारण वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता का न होना, आक ि पैकिंग एवं ब्राण्डनेम का अभाव,गुणवत्ता मानक एवं नवीनतम तकनीक की जानकारी का अभाव, समुचित प्रचार–प्रसार का अभाव, आक ि डिजाईन एवं उत्पाद विविधता का अभाव है। जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना प्रस्तावित की जा रही है तथा ग्रामीण उद्यमियों को उत्पाद विकास गुणवत्ता मानक एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिये एक दिवसीय गांव/जनपद/ब्लाक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी ताकि उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो सके। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस मद में रु0 17.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 17.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3.	**कौशल सुधार प्रशिक्षण**		7500^{00}	बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत स्थापित अनेक इकाईयाँ रुग्ण अथवा मृत हो जातीं है। जिसका मुख्य कारण है उद्योग प्रबन्धन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसेः– तकनीकी प्रशिक्षण/ज्ञान का अभाव, एप्रोप्रिएट स्किल का अभाव, लेखों के रख–रखाव का अभाव, उत्पादन प्रक्रिया की अल्प जानकारी एवं वित्तीय प्रबन्धन का अभाव आदि है। इकाई की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को उद्योग प्रबन्धन एवं उद्योग विथेष में कौथल सुधार प्रशिक्षण दिया जाना अति आवथ्यक है ताकि स्थापित इकाईयों को रुग्ण अथवा मृत होने से बचाया जा सके। इस कार्य हेतु कौथल सुधार एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना प्रस्तावित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु इस मद में रु0 72.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष रु0 72.00 लाख का व्यय करते हुए 3600 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रु0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। जिससे 1875 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
4.	**ई–गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेथन ऐण्ड कनेक्टिविटी**		1000^{00}	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को बोर्ड की योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने, सूचनाओं का सुचारुरूप से आदान प्रदान करने तथा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करने के उद्देथ्य से यह योजना प्रस्तावित की गयीं है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना हेतु रु0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। प्रदेश के सभी कार्यालयो को पूर्णतयां कम्प्यूटराईज्ड एवं कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 22.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। जिससे कि प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रीय/ जिला स्तरीय कार्यालयों को इण्टरनेट ब्राडबैण्ड की सुविधा, कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय आदि कार्य किया गया तथा मुख्यालय परिसर में नेट कनेक्टीविटी उपलब्ध कराने हेतु समस्त कम्प्यूटरों पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 10.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
5.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना**		160000^{00}	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमथीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना व ा 1994–95 से ुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत थिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रथिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रथिक्षित अभ्यर्थियों व ासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रथिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक थिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग वि ाय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

				योजना की सफलता को दृ"टगत रखते हुए ाासन द्वारा वित्तीय व f 2010–11 में ाासनादेश संख्या 957(बी)/ का0नि0–6/10 दिनांक 20 जुलाई, 2010 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में ाासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय व f 2014–15 में लगभग 1760 इकाईयों की स्थापना कराते हुए लगभग 7040 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रु0 1500.00 लाख बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रू0 1600.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
6.	**वित्तपोषित इकाईयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण**		5000ण्00	ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना के पूर्व प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी व्यवहारिक एवं गुणवत्तायुक्त बनाने की दृष्टि से व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन भी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किये जाने का कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस मद में रु0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिससे 1250 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
7.	**पुरस्कार योजना**		500ण्00	खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत संस्थाओं/ समितियों एवं व्यक्तिगत इकाईयों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कराने के उद्देश्य से सफल एवं उत्कृष्ट इकाईयों को मण्डल एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस मद में रू0 5.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट उद्यमियों को चयनित कर पुरस्कृत करने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 5.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

8.	**जनश्री बीमा योजना**		1600ण्00	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत परम्परागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को जनश्री बीमा योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस मद में रु0 16.40 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। जिससे 1.30 लाख खादी कामगारों को आच्छादित किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 15.94 लाख का व्यय करते हुए 127489 खादी कामगारों को आच्छादित किया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 16.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग आयोजनेत्तर		184850ण्00	
	योगआयोजनागत+आयोजनेत्तर	224357ण्00	184850ण्00	

वर्ष 2014–2015 में बोर्ड द्वारा कियान्वित की जाने वाली आयोजनागत योजनाओं (टी0एस0पी0, अनुदान सं0 81 के अन्तर्गत) का विवरण :–

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय– व्ययक अनुमान व f 2014–15 आयोजनागत	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2	3	4
	राज्य सेक्टर		
1.	**कौथल सुधार प्रशिक्षण योजना**	75ण्00	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा नवीनतम तकनीकी की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी ताकि वह आज की चुनौतियों का सामना करते हुए स्वावलम्बी बन सकें। वित्तीय व f 2013–14 में रु0 0.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 0.50 लाख का व्यय करते हुए 25 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 0.75 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	**विपणन विकास सहायता कार्यक्रम**	50ण्00	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों/उद्यमियों को योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को और अधिक जागरूक बनाने हेतु ग्राम/ब्लाक स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु रु0 0.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 0.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
3.	**उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय**	75ण्00	अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण उद्यमियों को उत्पाद विकास गुणवत्ता मानक एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी देने के लिये एक दिवसीय गांव/जनपद/ब्लाक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस मद में रु0 0.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 0.75 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	200ण्00	

	जिला सेक्टर		
4.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना/ ब्याज उपादान योजना**	300.00	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना व र्ा 1994–95 से ारू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा ट्राइसेम व ाासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग वि ाय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृ"टगत रखते हुए ाासन द्वारा वित्तीय व र्ा 2010–11 में ाासनादेश संख्या 957(बी)/का0नि0–6/10 दिनांक 20 जुलाई, 2010 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में ाासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय व र्ा 2013–14 में लगभग 15 उद्यमियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 60 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त योजना हेतु रु0 2.00 लाख का प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 3.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।
	योग जिला सेक्टर	300.00	
	योग राज्य+जिला सेक्टर	500.00	

व f 2014–2015 में बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आयोजनागत योजनाओं (एस0सी0एस0पी0, अनुदान सं0 83 के अन्तर्गत) का विवरण :–

(हजार रुपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय– व्ययक अनुमान व f 2014–15 आयोजनागत	योजना के मुख्य बिन्दु
1	2		4
	राज्य सेक्टर		
1.	विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	14020ण00	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों/उद्यमियों को योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है। साथ ही अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु रु0 40.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 140.20 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
2.	उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिष्चय	880ण00	ग्रामोद्योगी उत्पादों को मार्केट प्रतिस्पर्धा में उचित स्थान बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं वैल्यूएटेड करने की नितान्त आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय व f 2013–14 में इस योजना हेतु रु0 8.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 8.80 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
3.	कौथल सुधार एवं प्रशिक्षण	15000ण00	ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौथल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु रु0 75.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 150.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग राज्य सेक्टर	29900ण00	

जिला सेक्टर			
4.	**मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना**	25500ण्00	राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना व र्ा 1994–95 से ारू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों व ाासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग वि ाय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं। योजना की सफलता को दृ"टगत रखते हुए ाासन द्वारा वित्तीय व र्ा 2010–11 में ाासनादेश संख्या 957(बी)/का0नि0–6/10 दिनांक 20 जुलाई, 2010 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दी गई है तथा **योजना की अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख कर दी गई है।** चूंकि योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख कर दी गई है, जिससे दो गुना पूंजीनिवेश करते हुए उद्योगों की स्थापना कराई जायेगी। प्रति इकाई औसत पूंजीनिवेश रू0 2.00 लाख से बढ़कर रू0 4.50 लाख होने का अनुमान है। साथ ही योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में ाासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी, जिसके लिए ब्याज उपादान के रूप में अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय व र्ा 2014–15 में लगभग 425 उद्यमियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त योजना हेतु रु0 255.00 लाख का प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रु0 255.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
	योग जिला सेक्टर	25500ण्00	
	योग राज्य+जिला सेक्टर	55400ण्00	

वर्ष 2013–14 की विशेष उपलब्धियाँ

1 मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को जुलाई, 2010 से ाासन द्वारा संथोधित किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाई स्थापना हेतु **अधिकतम ऋण सीमा रू0 5.00 लाख से बढ़ाकर रू0 10.00 लाख की गई है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को ऋण धनराथि पर 4 प्रतिथत ब्याज के स्थान पर ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा,** जबकि सामान्य वर्ग के पुरू ा लाभार्थियों को 4 प्रतिथत ब्याज देना होगा। योजनान्तर्गत प्रचार–प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम तथा मूल्यांकन हेतु कुल स्वीकृत धनराथि का क्रमथः 1–1 प्रतिथत का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 20 प्रतिथत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया।

2 बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 177.68 करोड़ के संस्थागत पूँजी निवेश से 3632 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिसमें 74797 लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

3 वर्ष 2008–09 से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम से नई योजना शुरु की गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1836 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करायी गयी जिसमें 17276 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये गये।

4 वित्तीय वर्ष 2013–14 में खादी संस्थाओं द्वारा धनराशि रु0 68.88 करोड़ की खादी बिक्री की गयी । व f 2013–14 में ाासन से प्राप्त रू0 3711.37 लाख के रिबेट दावों के अन्तर्गत संस्थाओं के व f 2011–12 एवं खादी संस्थाओं के विगत वर्षों के लम्बित रिबेट दावों के भुगतान किये गये।

5 वित्तीय वर्ष 2013–14 में 12 खादी उत्पादन केन्द्रों के द्वारा रु0 51.53 लाख का उत्पादन किया गया तथा रु0 20.19 लाख की खादी की बिक्री की गयी, जिससे 1545 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए।

6 वित्तीय वर्ष 2013–14 में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगथाला, लखनऊ व गोरखपुर द्वारा 48 उत्पादों के सैम्पुल परीक्षण कर गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग एवं लेबलिंग को आक ाक बनाने हेतु परामर्थ एवं मार्गदर्थन दिया गया साथ ही उद्यमिता, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्च्य योजना में 500 लाभार्थियों को जागरुकता प्रथिक्षण प्रदान किया गया।

7 वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासन की ई–गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में वर्ष 2007–08 में उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। बोर्ड मुख्यालय पर अधिकारियों के कक्षों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी गयी। स्थापित समस्त कम्प्यूटरों से नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य हो रहा है

तथा विभागीय साफ्टवेयर पैकेज भी संचालित किये जा रहे हैं। जनपदीय कार्यालयों द्वारा विभागीय कार्य

आदान–प्रदान में ई–मेल सुविधा का व्यापक उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग हेतु मुख्यालय पर स्थापित समस्त कम्प्यूटरों पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

8 वित्तीय वर्ष 2013–14 में बोर्ड के कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार एवं आधुनिक तकनीकी, कम्प्यूटर का विभागीय कार्यों में अधिकतम उपयोग के दृ"टगत कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

9 वित्तीय वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा वित्तपो"ित इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रचार–प्रसार एवं विपणन हेतु लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं महाकुम्भ के अवसर पर इलाहाबाद में राष्ट्रीय प्रदर्थनी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग रू0 5.50 करोड़ के खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री हुई ।

10 वित्तीय वर्ष 2013–14 में बोर्ड द्वारा संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोगार योजना को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए ब्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया गया ।

11 वित्तीय वर्ष 2013–14 में जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने वाले व्यक्तियों को सूचनाएं उपलब्ध करायीं गयीं।

परिशिष्ट – 2

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत, रिक्त तथा भरे हुए पदों का व ार विवरण

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में निम्न पद स्वीकृत हैं। इनका वेतन भत्ते आदि देयकों का भुगतान शासन से प्राप्त अनुदान से किया जाता है।

समूह	स्वीकृत			भरे			रिक्त		
	2011.2012	2012.2013	2013.2014	2011.2012	2012.2013	2013.2014	2011.2012	2012.2013	2013. 2014
क	32	32	32	26	26	23	06	06	09
ख	111	111	111	47	50	43	64	61	68
ग	1073	1073	1073	578	583	587	495	490	486
घ	435	435	435	170	172	148	265	263	287
योग	**1651**	**1651**	**1651**	**821**	**831**	**801**	**830**	**820**	**850**